

बिहार सरकार

बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं०-38/2023 से 52/2023 (व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों)

श्रम संसाधन विभाग, बिहार पटना, अन्तर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना के अधीनस्थ विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के रिक्त पदों पर Degree/Diploma योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन सं०-38/2023 से 52/2023 के अन्तर्गत दिनांक-18.09.2024 से 28.09.2024 तक एवं 09.10.2024 को दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम आयोग कार्यालय में आयोजित किया गया था। उक्त दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों का गुपवार गुप के अन्तर्गत सभी पदों का पदवार प्राप्तांक, आरक्षण कोटि एवं अन्य विवरणी आयोग के वेबसाइट—www.btsc.bihar.gov.in अथवा इस लिंक पर <http://103.75.167.252/DEGREE> पर उपलब्ध है। इस क्रम में संबंधित अभ्यर्थियों से दिनांक-22.10.2024 से 27.10.2024 के अपराह्न 06:00 बजे तक आपत्तियाँ (यदि हो तो) आमंत्रित की जाती हैं।

नोट:- एक से अधिक विज्ञापन/गुप के अन्तर्गत सफल अभ्यर्थियों को निदेश है कि सभी विज्ञापन/गुप के अन्तर्गत प्रकाशित विवरणी अलग-अलग देख लेंगे। एक विज्ञापन/गुप के अन्तर्गत दर्ज किया गया आपत्ति केवल उसी विज्ञापन/गुप के अन्तर्गत विचारणीय होगा।

अभ्यर्थी अपना Application No., मोबाईल नम्बर एवं जन्म तिथि डालकर registered मोबाईल नम्बर पर प्राप्त OTP के माध्यम से Login कर दर्शायी गई सभी विवरणी यथा, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आरक्षण कोटि, प्राप्तांक, अयोग्यता का कारण आदि देखकर संतुष्ट हो लें। किसी प्रकार की कोई त्रुटि होने पर संबंधित अभ्यर्थी अपना आपत्ति कारण सहित आयोग के वेबसाइट पर Raise Objection बटन पर Click करके दर्ज कर सकते हैं।

उक्त ऑनलाईन आपत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम यथा ई-मेल/निबंधित डाक/कुरियर आदि से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

आपत्ति दर्ज करने के पूर्व अभ्यर्थीगण निम्नलिखित निदेशों को ध्यानपूर्वक समझ लें:-

1. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र, अंक पत्र एवं अनिवार्य अनुभव प्रमाण-पत्र दस्तावेज सत्यापन में मूल में प्रस्तुत नहीं रहने के कारण अयोग्य किया गया है।
2. विज्ञापन की कंडिका-1(ii) में वर्णित अनिवार्य अनुभव के अन्तर्गत संबंधित उद्योग में कार्यरत नहीं होने अथवा संगत तकनीकी अध्यापक/प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं होने अथवा संबंधित उद्योग के सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण वैसे अनुभव प्रमाण-पत्र को अमान्य किया गया है।

अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत संबंधित उद्योग/संस्थान को सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त होने के साक्ष्य के रूप में निम्न साक्ष्यों को मान्य नहीं किया गया है:-

- (i) GST निबंधन से संबंधित प्रमाण को उद्योग के रूप में मान्य नहीं किया गया है।
- (ii) Bihar Shop एवं Establishment Act के अन्तर्गत निबंधन से संबंधित प्रमाण को उद्योग के रूप में मान्य नहीं किया गया है।
- (iii) संवेदक License, Contractor License के अन्तर्गत निबंधन से संबंधित प्रमाण को उद्योग के रूप में मान्य नहीं किया गया है।

- (iv) अभ्यर्थी के EPFO कटौती संबंधी विवरणी के आधार पर संबंधित संस्थान को उद्योग के रूप में सरकार से मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण नहीं माना गया है।
3. विज्ञापन की कंडिका-1(i) में अंकित शैक्षणिक अर्हता (किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित Stream/Branch में 04 वर्षीय Engineering Degree का प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित Stream/Branch में 03 वर्षीय Engineering Diploma का प्रमाण-पत्र) से इतर शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य किया गया है।
 4. योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण-पत्र (यथा- शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र, कार्यानुभव हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र) दिनांक-18.10.2023 तक निर्गत होने पर मान्य किया गया है।
परन्तु, आयोग के पत्रांक-3105, दिनांक-16.11.2023 द्वारा विज्ञापन सं०-47/2023 (ग्रुप-10) के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स मेकैनिक्स व्यवसाय अनुदेशक पद के अभ्यर्थियों हेतु दिनांक-18.11.2023 से 25.11.2023 तक आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के मात्र आरक्षण के निमित्त निर्गत प्रमाण-पत्र एवं कार्यानुभव प्रमाण-पत्र दिनांक-25.11.2023 तक निर्गत होने पर मान्य किया गया है।
 5. विज्ञापन की कंडिका-1(ii) में वर्णित अनिवार्य अनुभव के लिए दिनांक-19.09.2023 तक के कार्यावधि की गणना की गयी है।
 6. विज्ञापन की कंडिका-1(iii) एवं 3(ii)(c) में वर्णित (संबंधित व्यवसाय में CITS का प्रमाण-पत्र) CITS का राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (NCVT) द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत नहीं करने पर CITS के अधिमानता का दावा अमान्य किया गया है।
CITS के अंकों की अधिमानता केवल उस व्यवसाय के अन्तर्गत दिया गया है, जिस व्यवसाय में CITS उत्तीर्ण है। (उदाहरणार्थ :- विज्ञापन सं० 38/2023 ग्रुप-1 के अन्तर्गत 06 अलग-अलग व्यवसाय के पद है। यदि कोई अभ्यर्थी Fitter व्यवसाय में CITS उत्तीर्ण है तो उक्त अभ्यर्थी को केवल Fitter व्यवसाय के पद हेतु CITS के अंकों की अधिमानता दी गई है। शेष व्यवसाय हेतु CITS की अधिमानता का अंक देय नहीं है।)
 7. Reading of Drawing & arithmetic में CITS उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विभागीय जाँच समिति के निर्देश के आलोक में DGT के नियमों के अनुसार केवल ग्रुप-15 के अन्तर्गत Engineering Drawing एवं Workshop Calculation & Science अनुदेशक के पदों हेतु CITS के अधिमानता का अंक दिया गया है।
 8. कार्यानुभव की अवधि एवं CITS के शैक्षणिक सत्र की अवधि में Overlap होने की स्थिति में अभ्यर्थियों के कार्यानुभव को अमान्य कर दिया गया है।
 9. विज्ञापन की कंडिका-3(ii)(d) के अनुसार कार्यानुभव के अंकों की अधिमानता निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा के आधार पर पूर्व में नियोजित तथा वर्तमान में कार्यरत अवधि के समतुल्य कार्यानुभव का अंक अनुमान्य किया गया है।
कार्यानुभव के अंकों की अधिमानता केवल उसी व्यवसाय के अन्तर्गत दिया गया है, जिस व्यवसाय में कार्यानुभव प्राप्त है। (उदाहरणार्थ :- विज्ञापन सं० 38/2023 ग्रुप-1 के अन्तर्गत 06 अलग-अलग व्यवसाय के पद है। यदि कोई अभ्यर्थी Fitter व्यवसाय में संविदा पर कार्यरत है तो उक्त अभ्यर्थी को केवल Fitter व्यवसाय के पद हेतु कार्यानुभव के अंकों की अधिमानता दी गई है। शेष व्यवसाय हेतु कार्य अनुभव की अधिमानता का अंक देय नहीं है।)
 10. विज्ञापन की कंडिका-3(ii)(d) में वर्णित कार्यानुभव अवधि की गणना दिनांक-19.09.2023 तक की गई है।
 11. विज्ञापन की कंडिका-3(iii) के अनुसार कार्यानुभव प्रमाण-पत्र संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य द्वारा निर्गत नहीं होने अथवा विज्ञापन के परिशिष्ट-I में संलग्न प्रारूप में निर्गत नहीं होने पर कार्यानुभव का अंक नहीं दिया गया है।
 12. Online आवेदन में दावा किये गये कोटि के अनुसार अनिवार्य प्रमाण-पत्र यथा- जाति प्रमाण-पत्र (SC/ST हेतु), क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (EBC/BC हेतु), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र

(EWS हेतु) नहीं रहने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। उक्त प्रमाण-पत्र निर्धारित Cut-off तिथि तक का होने पर ही मान्य किया गया है।

13. Online आवेदन में अंकित आरक्षण कोटि से इतर कोटि का प्रमाण-पत्र संलग्न रहने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
14. क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र पति के नाम से होने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। Online Objection में साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-15760, दिनांक-02.09.2022 के आलोक में भी कार्रवाई की जायेगी।
15. स्वतंत्रता सेनानी के नाती-नतिनी/पोता-पोती द्वारा सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
16. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
17. विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा की अर्हता को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है।

उपरोक्त कारणों से अमान्य किये गये आवेदन/कोटि परिवर्तन/कार्यानुभव का लाभ से संबंधित आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

- नोट:-
1. संलग्न सूची मात्र अभ्यर्थियों के प्राप्तियों की जाँच हेतु अपलोड की गयी है। इसे चयन सूची अथवा मेधा सूची नहीं समझा जाय।
 2. प्राप्त आपत्ति के पश्चात् सभी अभ्यर्थियों के अंको की पुनः जाँच की जाएगी एवं जाँचोपरांत मेधासूची प्रकाशित की जा सकेगी।

San
21.10.2024,
प्रभारी सचिव,

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।